


# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—: संशोधन आदेश :—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश के द्वारा आर.पी.एस.सी द्वारा चयनित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य के 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने पर स्थायीकरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों में निम्नांकित कार्मिकों के उनके सामने अंकित कॉलम सं. 5 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-


क्र. सं.	नाम व पदस्थापन	विषय	आदेश क्रमांक व आवेदक की अंकित क्रम संख्या	संशोधन
1	सुनील कुमार लाखलाण	वाणिज्य	क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/ सी-2/प्रो.टे./वाणिज्य/ नियमितिकरण-स्थाईकरण/ 2017 दिनांक 06.11.17 के क्रम संख्या 120 पर अंकित	पदस्थापन राउमावि चिराणा (झुंझुनू) के स्थान पर राउमावि सुलताना (झुंझुनू) किया जाता है।
2	लिखमाराम	वाणिज्य	क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/ सी-2/प्रो.टे./वाणिज्य/ नियमितिकरण-स्थाईकरण/ 2017 दिनांक 18.10.17 के क्रम संख्या 64 पर अंकित	स्थायीकरण तिथि 22.07.17 के स्थान पर 20.07.17 की जाती है।
3	किरण अरोड़ा	वाणिज्य	क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/ सी-2/प्रो.टे./वाणिज्य/ नियमितिकरण-स्थाईकरण/ 2017 दिनांक 18.10.17 के क्रम संख्या 213 पर अंकित	स्थायीकरण तिथि 22.07.15 के स्थान पर 22.07.17 की जाती है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढी जावें।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/प्रो.टे./इति-वाणि./स्थायी./संशोधन/2017 दिनांक:- 11/12/2017  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)...
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओ.ए.सी. प्रभाग कार्यालय हाजा
6. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर